रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230391
CG-DL-E-12102021-230391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3895] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2021/ आश्विन 20, 1943
No. 3895] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ ASVINA 20, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4242(अ.).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) और (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2021 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में, अनुसूची 1 में, सारणी में,-

(i) क्र.सं. 14.1 के सामने,-

(क) स्तंभ 2 में "क्षेत्र/ क्रिया", शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I, अर्थात बेसिक, सेलुलर, यूनाइटेड एक्सेस सर्विसेज, यूनिफाइड लाइसेंस (एक्सेस सर्विसेज), यूनिफाइड लाइसेंस, नेशनल/इंटरनेशनल लांग डिस्टेन्स, कॉमर्सियल V-सेट, पब्लिक मोबाइल रेडियों ट्रन्कड सर्विसेज (एमपीआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विसेज

(जीएमपीसीएस), सहित सभी दूरसंचार सेवाएं, सभी प्रकार की आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी की पुन: ब्रिक्री, मोबाइल नं. पोर्टेबिलिटी सर्विसेज, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेश, टोअर प्रदान करना) अन्य सेवा प्रदाताओं और ऐसी अन्य सेवाएं जो दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अनुमत हो सकती हैं।";

(ख) स्तंभ (4) में "प्रवेश मार्ग" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

" ऑटोमैटिक";

(ii) क्र. सं. 14.2 के सामने, स्तंभ (2) में "अन्य शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत खंड के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी और कोई अन्य शर्तों और निबंधनों जैसा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, का लाइसेंसधारक और ऊपर क्र.सं. 14.1 में यथासंदर्भित सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों और निवेशकों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।"

[फा.सं. 01/05/ईएम/2019]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3732 (अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए:-

(i) का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2019
(ii) का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020
(iii) का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020
(iv) का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2020
(v) का.आ. 4441 (अ), तारीख 08 दिसंबर, 2020
(vi) का.आ. 3206 (अ), तारीख 09 अगस्त, 2021
(vii) का.आ. 3411 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2021 और
(viii) का.आ. 4091 (अ), तारीख 5 अक्तूबर, 2021

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2021

S.O. 4242(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in Schedule I, in the Table, -

(i) against Sl. No. 14.1, -

(a) in column (2), under the heading “Sector/Activity”, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, United Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), all types of ISP licenses, Voice Mail/Audiotex/UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower), Other Service Providers and such other services as may be permitted by the Department of Telecommunications (DoT).”;

(b) in column (4), under the heading “Entry Route”, for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Automatic”;

(ii) against Sl. No. 14.2, in column (2), under the sub-heading “Other conditions”, for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“The licensing, security and any other terms and conditions as notified by Department of Telecommunications (DoT) from time to time, shall be observed by licensee/entities providing services as referred in serial number 14.1 above as well as investors.”

[F. No. 01/05/EM/2019]
ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers: -

(i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019,

(ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020,

(iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020,

(iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020,

(v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020,

(vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021,

(vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021 and

(viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA